उ0प्र0 शासन
नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम अनुभाग।
संख्या–1926 / 69–1–13–14(104) / 2013
लखनऊ : दिनांक : 28 फरवरी, 2014

कार्यालय–ज्ञाप

आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बारहवीं पंचवर्षीय योजना से शहरी गरीबों हेतु वर्तमान में संचालित स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के स्थान पर राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (नेशनल अरबन लिवलीहुड मिशन) विगत 19.09.2013 को आरम्भ की गयी है। यह योजना शहरी गरीबों की सामाजिक व आर्थिक समस्याओं के व्यापक एवं एकीकृत रूप से समाधान किए जाने के उद्देश्य से आरम्भ की गयी है। नेशनल अरबन लिवलीहुड मिशन के मिशन डाक्यूमेन्ट के प्रस्तर–13.8 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (नेशनल अरबन लिवलीहुड मिशन) के संचालन हेतु स्टेट मिशन मैनेजमेन्ट यूनिट के अन्तर्गत गवर्निंग कौंसिल एवं प्रस्तर–13.9 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार कार्यकारी समिति (एक्जीक्यूटिव कमेटी) का गठन निम्नवत किया जाता है:–

(I) **गवर्निंग कौंसिल का गठन–**

क्रमांक	पदनाम	सदस्यता
1	मुख्य मन्त्री	अध्यक्ष
2	मंत्री नगर विकास एवं नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग	उपाध्यक्ष
3	ग्राम्य विकास मंत्री	सदस्य
4	श्रम मंत्री	सदस्य
5	उद्योग मंत्री	सदस्य
6	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री	सदस्य
7	तकनीकी शिक्षा मंत्री	सदस्य
8	मुख्य सचिव	सदस्य
9	स्टेट लीड बैंक आफिसर	सदस्य
10	आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि	सदस्य
11–12	नगरीय निकायों के प्रतिनिधि– महापौर / अध्यक्ष(2)	सदस्य गण
13–15	लिवलीहुड एक्सपर्ट / सिविल सोसाइटी / उद्योग के प्रतिनिधि (3)	सदस्य गण
16	एन.यू.एल.एम. के प्रभारी / प्रमुख सचिव / सचिव	सदस्य–कन्वेनर
17	अध्यक्ष द्वारा को–आप्टेड अन्य दूसरे सदस्य	सदस्य गण

संयुक्त निदेशक

(II) कार्यकारी समिति (एक्जीक्यूटिव कमेटी)–

क्रमांक	पदनाम	सदस्यता
1	मुख्य सचिव	अध्यक्ष
2	प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास विभाग।	सदस्य
3	प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग	सदस्य
4	प्रमुख सचिव, वित्त विभाग।	सदस्य
5	प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग।	सदस्य
6	प्रमुख सचिव श्रम विभाग।	सदस्य
7	प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग।	सदस्य
8	प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।	सदस्य
9	प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग।	सदस्य
10	प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग।	सदस्य
11	प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग।	सदस्य
12–13	राज्य लीड बैंक अधिकारी और अन्य राष्ट्रीकृत बैंक के प्रमुख।	सदस्य गण
14	आर.बी.आई. के राज्य प्रतिनिधि	सदस्य
15	इन्डस्ट्री प्रतिनिधि	सदस्य
16–18	स्वंय सहायता समूह/फेडरेशन्स के प्रतिनिधि (3)	सदस्य गण
19	राज्य मिशन निदेशक,एन.आर.एल.एम.	सदस्य
20	निदेशक, तकनीकी शिक्षा उ0प्र0।	सदस्य
21	श्रमायुक्त, उ0प्र0	सदस्य
22	निदेशक, उद्योग, उ0प्र0।	सदस्य
24	आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के प्रतिनिधि	सदस्य
25	राज्य मिशन निदेशक,एन.यू.एल.एम.	सदस्य कन्वेनर
26	अध्यक्ष द्वारा को–आप्टेड अन्य दूसरे सदस्य	सदस्य गण

2. राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (नेशनल अरबन लिवलीहुड मिशन) के प्रदेश में संचालन हेतु **राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0 लखनऊ को नोडल विभाग** और **निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0 लखनऊ को मिशन निदेशक** नामित किया जाता है। उपर्युक्त गठित गर्वनिंग कौसिल तथा

कार्यकारी समिति (एक्जीक्यूटिव कमेटी) के सम्बन्ध में यथापेक्षित आवश्यक कार्यवाही मिशन निदेशक द्वारा सम्पन्न की जायेगी।

(जावेद उस्मानी)
मुख्य सचिव

सं0–1926 (1)69–1–13–14(104)/2013 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. विशेष कार्याधिकारी, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0
3. निजी सचिव, मा0 ग्राम्य विकास मंत्री, उ0प्र0 ।
4. निजी सचिव, मा0 श्रम व रोजगार मंत्री, उ0प्र0।
5. निजी सचिव, मा0 स्वास्थ्य मंत्री, उ0प्र0।
6. निजी सचिव, मा0 उद्योग मंत्री, उ0प्र0।
7. निजी सचिव, तकनीकी शिक्षा मंत्री, उ0प्र0।
8. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
9. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
10. सचिव, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
11. प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
12. प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
13. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
14. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
15. प्रमुख सचिव, श्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
16. प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
17. प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
18. प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0 शासन।
19. प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
20. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन।
21. निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0 लखनऊ।
22. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

28/2/2014

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

642

3059/C/S
23/5/14

उ0प्र0 शासन
नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम अनुभाग।
संख्या–779 /69–1–14–14(104)/2013
लखनऊ : दिनांक : 23 मई, 2014

कार्यालय–ज्ञाप

आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत शहरी गरीबों हेतु वर्तमान में संचालित स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के स्थान पर राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (नेशनल अरबन लिवलीहुड मिशन) सितम्बर, 2013 से आरम्भ की गयी है। 12 वीं पंचवर्षीय योजना में प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालय वाले शहरों एवं 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों – लोनी, मोदीनगर, चंदौसी, खुर्जा, मुगलसराय, शिकोहाबाद और बड़ौत में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन.यू.एल.एम.) लागू किया गया है। यह योजना शहरी गरीबों की सामाजिक व आर्थिक समस्याओं के व्यापक एवं एकीकृत रूप से समाधान किए जाने के उद्देश्य से आरम्भ की गयी है। नेशनल अरबन लिवलीहुड मिशन के मिशन डाक्यूमेंट के प्रस्तर–13.8 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार इस योजना के संचालन हेतु स्टेट मिशन मैनेजमेंट यूनिट (एसएमएमयू) के अन्तर्गत गवर्निंग कौंसिल एवं प्रस्तर–13.9 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार कार्यकारी समिति का गठन शासनादेश सं0–1926/69–1–13–14 (104)/2013, दिनांक 28.02.2013 द्वारा किया गया है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के मिशन डाक्यूमेंट के प्रस्तर–13.16 में शहर स्तर पर राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के संचालन हेतु कार्यकारी समितियों के गठन का प्राविधान किया गया है। शहर स्तर पर गठित यह कार्यकारी समितियां शहरी बेधरों के लिये आश्रय योजना (एस0यू0एच0) के अन्तर्गत सृजित होने वाली सुविधाओं के नियोजन, कियान्वयन एवं प्रबन्धन के लिये उत्तरदायी होंगी।

उक्त समितियों का निम्नवत गठन किया जाता है :–

(I) नगर निगम वाले चयनित शहरों हेतु कार्यकारी समिति (एक्जीक्यूटिव कमेटी)–

क्रमांक	पदनाम	सदस्यता
1	नगर आयुक्त	अध्यक्ष
2	परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण	उपाध्यक्ष
3	प्रभारी अधिकारी, एन0आर0एल0एम0	सदस्य
4	महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र	सदस्य
5	जिला सेवायोजन अधिकारी	सदस्य
6	उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी	सदस्य
7	जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
8	लोक निर्माण विभाग का अधिशाषी अभियन्ता से अनिम्न जनपदीय अधिकारी	सदस्य

JD/PD
23/5/14
संयुक्त निदेशक
26 मई 14

9	जिला विद्यालय निरीक्षक	सदस्य
10	जिला आपूर्ति अधिकारी	सदस्य
11–12	सम्बन्धित बैंक के दो प्रतिनिधि	सदस्य
13–14	सम्बन्धित स्वंय सहायता समूह/फेडरेशन्स (संघ) के दो प्रतिनिधि	सदस्य
15	परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण	सदस्य संयोजक
16	अध्यक्ष द्वारा को–आप्टेड अन्य सदस्य (अपर/उप/ सहायक नगर आयुक्त व अन्य जिसे वे आवश्यक समझें)	सदस्य

(II) नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतो वाले चयनित शहरों में कार्यकारी समिति (एक्जीक्यूटिव कमेटी)–

क्रमांक	पदनाम	सदस्यता
1	जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण	अध्यक्ष
2	परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण	उपाध्यक्ष
3	प्रभारी अधिकारी, एन0आर0एल0एम0	सदस्य
4	महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र	सदस्य
5	जिला सेवायोजन अधिकारी	सदस्य
6	उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी	सदस्य
7	जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
8	लोक निर्माण विभाग का अधिशाषी अभियन्ता से अनिम्न जनपदीय अधिकारी	सदस्य
9	जिला विद्यालय निरीक्षक	सदस्य
10	जिला आपूर्ति अधिकारी	सदस्य
11	सम्बन्धित शहर (नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत) के अधिशासी अधिकारी	सदस्य
12–13	सम्बन्धित बैंक के दो प्रतिनिधि	सदस्य
14–15	सम्बन्धित स्वंय सहायता समूह/फेडरेशन्स (संघ) के दो प्रतिनिधि	सदस्य
16	परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण	सदस्य संयोजक
17	अध्यक्ष द्वारा को–आप्टेड अन्य सदस्य (प्रभारी अधिकारी, स्थानीय निकाय व अन्य जिसे वे आवश्यक समझें)	सदस्य

2. राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के प्रभावी संचालन के उद्देश्य से जिला स्तर पर जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा), की अध्यक्षता में जिला नगरीय विकास अभिकरण को नोडल एजेन्सी नामित किया जाता है, जो राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), उ0प्र0 लखनऊ/मिशन निदेशक, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) के अधीन कार्य करेगा।

3. उपर्युक्त योजनान्तर्गत सिटी मिशन मैनेजमेन्ट यूनिट (सीएमएमयू) के संचालन हेतु सिटी प्रोजेक्ट आफिसर नामित किये जायेगे। नगर निगम वाले शहरों में उप नगर अधिकारी अथवा उनके समकक्ष अधिकारी को सिटी प्रोजेक्ट आफिसर (सीपीओ) नामित किया जायेगा तथा उनकी सहायता हेतु जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) के 02 सहायक परियोजना अधिकारियों को नामित किया जायेगा। नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत वाले शहरों के अधिशासी अधिकारी (ईओ) अथवा उनके समकक्ष अधिकारी को सिटी प्रोजेक्ट आफिसर

(सीपीओ) नामित किया जायेगा तथा उनकी सहायता हेतु जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) के परियोजना अधिकारी को नामित किया जायेगा। सिटी मिशन मैनेजमेन्ट यूनिट(सीएमएमयू) के अन्तर्गत सिटी प्रोजेक्ट आफिसर के नेतृत्व में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (नेशनल अरबन लिवलीहुड मिशन) के कार्यो के संचालन में सहायता हेतु विशेषज्ञों की एक टीम का गठन किया जाएगा। उपरोक्त कार्यकारी समिति (एक्जीक्यूटिव कमेटी)की बैठके शीघ्रातिशीघ्र आयोजित कर समयबद्ध रूप से मिशन के कार्यक्रम लागू किए जायेगें।

श्रीप्रकाश सिंह
सचिव।

संख्या– 779 (1)69–1–14–14(104)/214 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0
2. विशेष कार्याधिकारी, मा0 मुख्यमंत्री जी उ0प्र0।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4. सचिव, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
5. प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
9. प्रमुख सचिव, श्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
10. प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
11. प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
12. प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0 शासन।
13. प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
14. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन।
15. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
16. निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्रांक–4202/241/एसजेएसआरवाई–एनयूएलएम/तीन/2001,दिनांक 24.03.2014 के सन्दर्भ में।
17. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।
18. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ0प्र0।
19. समस्त नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ0प्र0।
20. समस्त महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, उ0प्र0।
21. समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0।
22. समस्त जिला आपूर्ति अधिकारी, उ0प्र0 ।
23. समस्त परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।
24. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
22/5/14
(एच0पी0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

उ0प्र0 शासन
नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम अनुभाग।
संख्या-832-/69-1-14-14(104)/2013
लखनऊ : दिनांक : 23 मई, 2014

3062/C/5
23/5/14

कार्यालय-ज्ञाप

आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत शहरी गरीबों हेतु वर्तमान में संचालित स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के स्थान पर राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (नेशनल अरबन लिवलीहुड मिशन) सितम्बर, 2013 से आरम्भ की गयी है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के डाक्यूमेन्ट के प्रस्तर 13.2 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार राज्य स्तरीय तकनीकी सलाहकार समूह एवं शहर स्तर पर एक तकनीकी सलाहकार समूह (तकनीकी एडवाईजरी ग्रुप) का गठन निम्नवत किया जाता है :-

1. राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत राज्य स्तरीय तकनीकी सलाहकार समूह (टी0ए0जी0)-

क्रमांक	पदनाम	सदस्यता
1	प्रमुख सचिव/सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग	अध्यक्ष
2	निदेशक, स्थानीय निकाय	सदस्य
3	विशेषज्ञ-कौशल/आजीविका	सदस्य
4	विशेषज्ञ-सामाजिक गतिशीलता	सदस्य
5	विशेषज्ञ-वित्तीय समावेश	सदस्य
6	विशेषज्ञ-क्षमता संवर्धन	सदस्य
7-8	उद्योग संघो के दो प्रतिनिधि	सदस्य
9-10	आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा मनोनीत दो सदस्य	सदस्य
11	राज्य मिशन निदेशक, एन0यू0एल0एम0	सदस्य संयोजक

2 (I) नगर निगम के अन्तर्गत चयनित शहरों हेतु शहर स्तरीय तकनीकी सलाहकार समूह (टी0ए0जी0) -

क्रमांक	पदनाम	सदस्यता
1	नगर आयुक्त	अध्यक्ष
2	परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण	सदस्य
3	प्रभारी-जिला कौशल विकास मिशन	सदस्य
4	जिला सेवा नियोजन अधिकारी	सदस्य
5	महाप्रबंधक-जिला उद्योग केन्द्र	सदस्य
6-7	सम्बन्धित बैंक के दो प्रतिनिधि	सदस्य
8	परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण	सदस्य संयोजक

JD/PD

23/5/14

2 (II) नगर पालिका परिषदों तथा नगर पंचायतों के अन्तर्गत चयनित शहरों हेतु शहर स्तरीय तकनीकी सलाहकार समूह (टी0ए0जी0) -

क्रमांक	पदनाम	सदस्यता
1	जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण	अध्यक्ष
2	परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण	सदस्य
3	प्रभारी-जिला कौशल विकास मिशन	सदस्य

PD/जी0ए0ए0/जी0 संयोजक/जी0 मनन

4	जिला सेवा नियोजन अधिकारी	सदस्य
5	महाप्रबंधक–जिला उद्योग केन्द्र	सदस्य
6–7	सम्बन्धित बैंक के दो प्रतिनिधि	सदस्य
8	नगर पालिका परिषद /नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी,	सदस्य
9	परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण	सदस्य संयोजक

राज्य/शहर स्तर पर गठित तकनीकी सलाहकार समूह (टी.ए.जी.) द्वारा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के सफल कियान्वयन हेतु राज्य शहरी आजीविका मिशन/शहर आजीविका प्रबन्धन इकाई को तकनीकी सलाह प्रदान की जायेगी।

श्रीप्रकाश सिंह
सचिव।

संख्या– 832 (1)69–1–14–14(104)/2014 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यकम विभाग, उ0प्र0
2. विशेष कार्याधिकारी, मा0 मुख्यमंत्री जी उ0प्र0।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4. सचिव, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
5. प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
9. प्रमुख सचिव, श्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
10. प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
11. प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
12. प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0 शासन।
13. प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
14. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन।
15. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
16. निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्रांक–4202/241/एसजेएसआरवाई–एनयूएलएम/तीन/2001,दिनांक 24.03.2014 के सन्दर्भ में।
17. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।
18. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ0प्र0।
19. समस्त नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ0प्र0।
20. समस्त महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, उ0प्र0।
21. समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0।
22. समस्त जिला आपूर्ति अधिकारी, उ0प्र0 ।
23. समस्त परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।
24. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

22/5/14

(एच0पी0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

3060/C/S
23/5/14

उ0प्र0 शासन
नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम अनुभाग।
संख्या–833 /69–1–14–14(104)/2013
लखनऊ : दिनांक : 23 मई, 2014

कार्यालय–ज्ञाप

आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 12 वीं पंचवर्षीय योजना में शहरी गरीबों को आजीविका उपलब्ध कराने और उनके सशक्तीकरण हेतु राष्ट्रीय शहरी जीविका मिशन (एन.यू.एल.एम.) प्रारम्भ किया गया है। मिशन के उपघटक के रूप में शहरी बेघरों को सम्मान पूर्ण जीवन यापन हेतु, उनके लिए आश्रय की योजना (एस.यू.एच.) प्रारम्भ की गई है।

2– शहरी बेघरों के लिए आश्रय की योजना (Scheme of Shelter for Urban Homeless) (एस.यू.एच.) का मुख्य उद्देश्य शहरी बेघर गरीबों को बुनियादी सुविधाओं युक्त आश्रय प्रदान करना है। योजना के अन्तर्गत शहरी बेघरों के लिए आश्रय सातों दिन चौबीस घंटे और सभी मौसम के लिए स्थाई रूप से निर्मित किए जायेगे। प्रत्येक आश्रय, 50 से 100 व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करेगा जिसमे प्रत्येक व्यक्ति हेतु कम से कम 50 वर्ग फिट का स्थान उपलब्ध कराया जायेगा। ऐसे आश्रयों में जलापूर्ति, स्वच्छता, विद्युत, रसोई/खाना बनाने का स्थान, स्नानागृह सामान्य मनोरंजन स्थल, सुरक्षा जैसी बुनियादी सामान्य सुविधाएँ प्रदान की जायेगी। इसके साथ ही आंगनवाडी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के साथ संपर्क, बाल परिचर्या सुविधाएं और अन्य सामाजिक सहायता कार्यक्रम भी सुनिश्चित कराए जायेगे।

3– राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन0यू0एल0एम0) के अन्तर्गत शहरी बेघरों के लिये आश्रय की योजना (स्कीम आफ शेल्टर फार अरबन होमलेस) के प्रचलनात्मक दिशा–निर्देश के प्रस्तर–10 में यह प्राविधान किया गया है कि ऐसे आश्रय गृहों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी0पी0आर0) तैयार की जायेगी। डी0पी0आर0 की स्वीकृति हेतु प्रमुख सचिव/सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय परियोजना स्वीकृति समिति का गठन किया जायेगा।

4– उक्त योजना के दिशा–निर्देशों के अनुसार प्रस्तावों/परियोजनाओं पर विचार और अनुमोदन हेतु शहरी बेघरों के लिये आश्रय की योजना (एस0यू0एच0) के अन्तर्गत राज्य स्तरीय परियोजना स्वीकृति समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है :–

क्र.सं.	पदनाम	सदस्यता
1	प्रमुख सचिव/सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग	अध्यक्ष
2	सचिव, नगर विकास	सदस्य
3	सचिव, नियोजन विभाग	सदस्य
4	सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	सदस्य
5	सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन	सदस्य
6	आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार का प्रतिनिधि	सदस्य
7	निदेशक, स्थानीय निकाय	सदस्य
8	वित्त नियंत्रक, सूडा/राज्य मिशन एन0यू0एल0एम0	सदस्य
9	राज्य मिशन निदेशक, एन0यू0एल0एम0	सदस्य संयोजक

JD/PD
23/5/14
JD/S
संयुक्त निदेशक
26 मई 14

उक्त समिति द्वारा योजना से संबंधित परियोजनाओं पर विचार कर संस्तुति राज्य शहरी आजीविका मिशन (एस.यू.एल.एम.) को प्रस्तुत की जायेगी।

श्रीप्रकाश सिंह
सचिव।

संख्या–833 (1)69–1–14–14(104)/2014 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0
2. विशेष कार्याधिकारी, मा0 मुख्यमंत्री जी उ0प्र0।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4. सचिव, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
5. प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
9. प्रमुख सचिव, श्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
10. प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
11. प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
12. प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0 शासन।
13. प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
14. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन।
15. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
16. निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्रांक–4308/241/एसजेएसआरवाई–एनयूएलएम/तीन/2001,दिनांक 31.03.2014 के सन्दर्भ में।
17. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।
18. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ0प्र0।
19. समस्त नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ0प्र0।
20. समस्त महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, उ0प्र0।
21. समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0।
22. समस्त जिला आपूर्ति अधिकारी, उ0प्र0 ।
23. समस्त परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।
24. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
22.5.14
(एच0पी0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

641

3061/C/5
23/5/14

उ0प्र0 शासन
नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम अनुभाग।
संख्या–834/69–1–14–14(104)/2013
लखनऊ : दिनांक 23 मई, 2014

कार्यालय–ज्ञाप

आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 12 वीं पंचवर्षीय योजना में शहरी गरीबों को आजीविका उपलब्ध कराने और उनके सशक्तीकरण हेतु राष्ट्रीय शहरी जीविका मिशन (एन.यू.एल.एम.) प्रारम्भ किया गया है। मिशन के अन्तर्गत उपघटक के रूप में शहरी पथ विक्रेताओं को सम्मान पूर्ण जीवन यापन एवं आजीविका की सुरक्षा उपलब्ध कराने हेतु शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता योजना आरम्भ की गयी है।

2– शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता की योजना (एस.यू.एस.वी.) (Support to Urban Street Vendors) (SUSV) का मुख्य उद्देश्य शहरी पथ विक्रेताओं को उनके कार्य के लिये उपयुक्त स्थलों, संस्थागत ऋण, सामाजिक सुरक्षा और कौशल विकास के अवसर उपलब्ध कराने के साथ शहरी पथ विक्रेताओं का सर्वेक्षण कर उन्हें पहचान–पत्र जारी करना, शहरी पथ विक्रेता प्लान (सिटी स्टीट वेड़िंग प्लान) तैयार करना, शहर में वेड़िंग जोन हेतु अवस्थापना विकास, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास, वित्तीय सहायता एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।

3– राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन0यू0एल0एम0) के अन्तर्गत शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता योजना (एस.यू.एस.वी.) के प्रचलनात्मक दिशा–निर्देश के प्रस्तर–5 में यह प्राविधान किया गया है कि शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता उपलब्ध कराने हेतु शहर स्तर पर विस्तृत क्रियान्वयन प्लान (डिटेल इम्प्लीमेन्टेशन प्लान) (डी0आई0पी0) तैयार की जायेगी। डी0आई0पी0 की स्वीकृति हेतु प्रमुख सचिव/सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय परियोजना स्वीकृति समिति का गठन किया जायेगा।

4– उक्त योजना के दिशा–निर्देशों के अनुसार प्रस्तावों/परियोजनाओं पर विचार और अनुमोदन हेतु शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता योजना (एस.यू.एस.वी.) के अन्तर्गत राज्य स्तरीय परियोजना स्वीकृति समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है:–

क्रमांक	पदनाम	सदस्यता
1	प्रमुख सचिव/सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग	अध्यक्ष
2	सचिव, नगर विकास	सदस्य
3	सचिव, नियोजन विभाग	सदस्य
4	सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	सदस्य
5	सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन	सदस्य
6	आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार का प्रतिनिधि	सदस्य
7	निदेशक, स्थानीय निकाय	सदस्य
8	वित्त नियंत्रक, सूडा/राज्य मिशन एन0यू0एल0एम0	सदस्य
9	राज्य मिशन निदेशक, एन0यू0एल0एम0	सदस्य संयोजक

JD/PD

23/5/14

संयुक्त निदेशक
26/5/14

उक्त समिति द्वारा योजना से संबंधित परियोजनाओं पर विचार कर संस्तुति राज्य शहरी आजीविका मिशन (एस.यू.एल.एम.) को प्रस्तुत की जायेगी।

श्रीप्रकाश सिंह
सचिव।

संख्या–834 (1)69–1–14–14(104)/2014 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0
2. विशेष कार्याधिकारी, मा0 मुख्यमंत्री जी उ0प्र0।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4. सचिव, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
5. प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
9. प्रमुख सचिव, श्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
10. प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
11. प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
12. प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0 शासन।
13. प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
14. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन।
15. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
16. निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्रांक–4308/241/एसजेएसआरवाई–एनयूएलएम/तीन/2001,दिनांक 31.03.2014 के सन्दर्भ में।
17. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।
18. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ0प्र0।
19. समस्त नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ0प्र0।
20. समस्त महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, उ0प्र0।
21. समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0।
22. समस्त जिला आपूर्ति अधिकारी, उ0प्र0 ।
23. समस्त परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।
24. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

22.5.14

(एच0पी0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

फोन–2286710
2286709

राज्य नगरीय विकास अभिकरण
नव चेतना केन्द्र,10 अशोक मार्ग,लखनऊ–226001
website-www.sudaup.org

महत्वपूर्ण

पत्रांक– 1422/ 241 | NULM | तीन | 2001 (SEP) दिनांक– 22/5/14

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी / अध्यक्ष
जिला नगरीय विकास अभिकरण,
उत्तर प्रदेश।

विषय–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन0यू0एल0एम0) के अंतर्गत स्व–रोजगार कार्यक्रम (एस.ई.पी.) में व्यक्तिगत उद्यम हेतु ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन0यू0एल0एम0) के अंतर्गत स्व–रोजगार कार्यक्रम (एस.ई.पी.) में व्यक्तिगत उद्यम हेतु बैंकों से पात्र व्यक्तियों द्वारा ऋण प्राप्त कर उद्यमों की स्थापना की जानी है। आप अवगत हीं हैं कि वित्तीय वर्ष 2014–15 प्रारम्भ हो चुका है व 2 माह से अधिक व्यतीत भी हो चुके है।

जारी 22/5/14

अतः आवश्यक है कि उक्त योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत उद्यम हेतु ऋण प्राप्त करने की त्वरित गति से जनपद स्तर पर कार्यवाही सुनिश्चित् की जाय ताकि समय से लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके। उक्त परिप्रेक्ष्य में व्यक्तिगत उद्यम हेतु बैंकों से ऋण प्राप्त करने के संबंध में पत्र के साथ प्रारूप (आवदेन पत्र) संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि एन0यू0एल0एम के अंतर्गत चयनित 82 शहरों (जिला मुख्यालय एवं 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 7 शहर यथा–लोनी, मोदीनगर, चन्दौसी, खुर्जा, मुगलसराय, शिकोहाबाद तथा बड़ौत) में तत्काल पात्र लाभार्थियों का चयन कर योजना के दिशानिर्देश जोकि सूडा की वेबसाइट (www.sudaup.org) पर उपलब्ध है, के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित् कराते हुए अधिक से अधिक संख्या में पात्र व्यक्तियों को व्यक्तिगत उद्यम हेतु ऋण उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

संलग्नक–यथोक्त।

(श्रीप्रकाश सिंह)
मिशन निदेशक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
3. अधिशासी अधिकारी, एन0यू0एम0एम0 में चयनित शहर।
4. समस्त परियोजना अधिकारी / सहायक परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकण, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ की तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित् करें।

21/5/20 14

(श्रीप्रकाश सिंह)
मिशन निदेशक

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन.यू.एल.एम.) के अंतर्गत स्व–रोजगार कार्यक्रम (एस.ई.पी.) में व्यक्तिगत उद्यम हेतु ऋण प्राप्त करने के लिए

आवेदन पत्र

डूडा –.....

शहर का नाम –

आवेदन कर्ता का नवीनतम फोटो

1. आवेदक/आवेदिका का नाम :– .....
2. पिता/पति का नाम :– .....
3. लिंग :– स्त्री/पुरूष – .....
4. वैवाहिक स्थिति :– विवाहित/अविवाहित – .....
5. वर्तमान पता :– मोहल्ला :– .....

   वार्ड (नाम और नम्बर) :– .....

   नगर निकाय का नाम :– .....

   पिन कोड :– .....

   थाना :– .....

   जिला :– .....

   फोन/मोवाईल नं० :– .....

   ई–मेल :–.....
6. आधार कार्ड न0/वोटर कार्ड/अन्य (प्रतिलिपि संलग्न करे) :–.....
7. बैक एकाउन्ट न0, बैक का नाम (यदि है तो)(प्रतिलिपि संलग्न करे) :–.....
8. जन्म तिथि एवं आयु (प्रतिलिपि संलग्न करे):–.....
9. आरक्षित श्रेणी का विवरण (प्रतिलिपि संलग्न करे) – वर्ग/जाति :–.....

   अल्पसंख्यक :– हॉ/नही – यदि हॉ तो विवरण दे –.....
10. यदि विकलांगता है तो विवरण दे :– (प्रतिलिपि संलग्न करे) –.....
11. यदि परिवार की मुखिया महिला/एकल महिला हो लिखे :–.....
12. नगर में निवास की अवधि (कम से कम 3 वर्ष) :–.....
13. वार्षिक आय (समस्त परिवार की) :–.....
14. परिवार में सदस्यों की संख्या :–.....
15. शैक्षणिक योग्यता :– (प्रतिलिपि संलग्न करे) –.....
16. बी०पी०एल०/राशन कार्ड क्रमांक/आय प्रमाणपत्र :– (प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करे) –.....

    (परिवार के मुखिया का नाम तथा आवेदक का उससे संबंध).....

17. व्यवसाय/उद्यम का नाम जिसमें ऋण प्राप्त करना चाहते हैं (विस्तृत विवरण परियोजना प्रस्ताव के साथ संलग्न करे) :-.....

.....

18. योजना की अनुमानित लागत रू० में .....

- प्रार्थी का अंशदान रू० में.....
- कार्य की प्रकृति.....
- पूर्व अनुभव यदि हो तो.....
- व्यवसाय/उद्यम चलाए जाने का स्थान एवं पता.....

.....

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा अंकित सारी सूचनाएँ सही है, भविष्य में उपर्युक्त सूचना में से कोई भी सूचना गलत पाये जाने पर मेरे विरूद्ध कानून सम्मत कार्रवाई करने तथा ऋण और सब्सिडी की वसूली के लिए आवश्यक कार्रवाई करने हेतु विभाग स्वतंत्र है। मैं यह भी शपथपूर्वक कहता/कहती हूँ कि मैने और किसी विभाग से ऋण और सब्सिडी प्राप्त नही किया है।

आवेदक/आवेदिका का पूर्ण नाम और हस्ताक्षर :-
(पूर्ण नाम और अहस्ताक्षरित फार्म निरस्त माना जाएगा)

दिनांक :-

संलग्नक :-

अन्य टिप्पणी :-

<u>कार्यालय प्रयोग हेतु</u>

चयन समिति के सम्मुख दिनांक.....को प्रस्तुत किया गया आवेदन पत्र निरस्त/संस्तुति सहित बैंक.....

.....को अग्रसारित किया जाता है।

प्रभारी अधिकारी

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन.यू.एल.एम.)

☎2286710
2286709
राज्य नगरीय विकास अभिकरण
नव चेतना केन्द्र,10 अशोक मार्ग,लखनऊ–226001
website-www.sudaup.org

पत्रांक 205 /241/एसजेएसआरवाई–एनयूएलएम/तीन/2001 दिनॉक 28/5/2014

सेवा में,

1.समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला नगरीय विकास अभिकरण,
उत्तर प्रदेश।
2.समस्त नगर आयुक्त
नगर निगम उत्तर प्रदेश।

विषयः–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशान (एन0यू0एल0एम0)के अर्न्तगत चयनित शहरों में आजीविका केन्द्र (सी0एल0सी0)की स्थापना के सम्बन्ध में ।

महोदय,

आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत शासनादेश संख्या–के–1400/1/2013–यूपीए, दिनांक 24.09.2013 के द्वारा शहरी गरीबों हेतु संचालित स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के स्थान पर राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन0यू0एल0एम0) आरम्भ किया गया है।

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशान (एन0यू0एल0एम0) के अर्न्तगत प्रदेश के 82 शहर चयनित है। जिसमें 75 जिला मुख्यालय शहर और 1 लाख एवं 1 लाख से अधिक जनसंख्या (2011 की जनगणना के अनुसार) वाले 7 गैर जिला मुख्यालय शहर सम्मिलित है। इस प्रकार प्रदेश के कुल 82 शहरों में वित्तीय वर्ष 2014–15 से राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन0यू0एल0एम0) संचालित किया जायेगा।

शहरी आजीविका केन्द्र (सी0एल0सी0) City Livelihood Centre (CLC)

(सूचना, सेवा, सुविधा सुगमता केन्द्र)

शहरी आजीविका मिशन के अर्न्तगत शहरी गरीबों को उनकी आवश्यकतानुसार सेवाओं की उपलब्धता के माध्यम से जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण को सुगम करने के साथ–साथ उत्पादकता/सेवायोजन के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने एवं तैयार उत्पादको के विक्रय में सहायता करने के उदेद्श्य से सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास (Social Mobilisation and Institution Development) (SM&ID) उपघटक के अर्न्तगत **शहरी आजीविका केन्द्र (सी0एल0सी0)** के स्थापना का प्रावधान किया गया है।

शहरी आजीविका केन्द्र (सी0एल0सी0) की स्थापना हेतु एन0यू0एल0एम0 के अर्न्तगत सहायता प्रदान की जायेगी जो अनौपचारिक क्षेत्र की सेवाओं और उत्पादों के विक्रय में सहायता करेगें। यह एक ऐसा स्थान/मंच होगा जहॉ से शहरी गरीब कौशल प्रशिक्षण, स्वरोजगार और अन्य सेवाओं/सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने के बारे में सूचना प्राप्त कर सकेगें। इसके साथ ही आम शहरी नागरिक इस केन्द्र के माध्यम से विभिन्न दैनिक सेवाओं का उचित भुगतान कर लाभ उठा सकेगें।

उदेद्श्य :–

शहरी आजीविका केन्द्र का मुख्य उदेद्श्य शहरी गरीबों के सामाजिक आर्थिक उत्थान हेतु समेकित एवं औपचारिक आधार पर एकल खिड़की (One Window) के माध्यम से विभिन्न सरकरी एवं

गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए कौशल विकास प्रशिक्षण, रोजगार की स्थापना एवं सेवाओं की उपलब्धता, बैंक ऋणु, विपणन, सामाजिक सुरक्षा आदि सुगमीकृत कराना है। इसके साथ ही शहरवासियों के दैनिक जरूरतों हेतु विभिन्न कार्यो में निपुण/प्रशिक्षित शहरी गरीबों को केन्द्र में पंजीकृत कर सुचारू रूप से विभिन्न प्रकार की सेवाएं उचित भुगतान के आधार पर उपलब्ध कराना है।

शहरी क्षेत्रों में रहने वाले मध्य एवं उच्च आय वर्ग को दैनिक सेवाएं/सुविधा उपलब्ध कराने में अनौपचारिक क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है। यह क्षेत्र सेवाओं के रूप में यथा– सुरक्षा, बढईगीरी, बागवानी, निर्माण, प्लम्बिंग, विद्युत कार्य, स्वास्थ्य इत्यादि सेवाएं सुचारू रूप में उपलब्ध करा रहा है, परन्तु यह सुविधायें संगठित तरीके से सुचारू रूप से शहरी लोगों के लिए उपलब्ध नही हो पा रही है। उक्त गैप को कम करने के लिए शहरी आजीविका केन्द्र की स्थापना की जा रही है।

स्थापना :–

शहरी आजीविका केन्द्र की स्थापना शहरवासियों एवं शहरी गरीबों को दी जाने वाली सेवाओं के दृष्टिगत शहरी निकायों के सहयोग से ऐसे स्थान पर स्थापित किया जाना है जहाँ लोगों की आसानी से पहुँच हो सके। उक्त केन्द्र की स्थापना हेतु यदि शहरी निकाय के पास परिसर/भवन अपेक्षित स्थान पर उपलब्धता नही है तो भवन/परिसर उचित किराये पर लिया जा सकता है। निकायों/शहरों में शहरी आजीविका केन्द्र की स्थापना निम्न प्रकार से किया जाना प्रस्तावित है :–

क्रम संख्या	शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत चयनित शहरों की जनसंख्या	स्थापना हेतु प्रस्तावित शहरी आजीविका केन्द्रों की संख्या
1.	3 लाख तक जनसंख्या वाले शहरों में	1 केन्द्र
2.	3 से 5 लाख तक जनसंख्या वाले शहरों में	2 केन्द्र
3.	5 से 10 लाख तक जनसंख्या वाले शहरों में	3 केन्द्र
	10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में	8 केन्द्र

शहरी आजीविका केन्द्र की स्थापना हेतु प्रक्रियात्मक चरण :–

निर्धारित प्रारूप पर प्रस्ताव एवं कार्ययोजना तैयार कर राज्य शहरी आजीविका मिशन निदेशालय (सूडा) को स्वीकृति हेतु चयनित शहरों द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा। प्रस्ताव के साथ भवन/परिसर की उपलब्धता/आंवटन/किरायेदारी के प्रमाण का अभिलेख भी प्रस्तुत किया जाना अपरिहार्य है। प्रस्ताव के साथ प्रेषित किये जाने वाले कार्ययोजना में सी0एल0सी0 द्वारा दी जाने वाली सेवाओं को सूचीबद्ध करते हुए विस्तृत व्यवसायिक योजना का माडल भी प्रस्तुत किया जाना प्रावधानित है।

सी0एल0सी0 के प्रस्तावों का अनुमोदन एवं स्वीकृति :–

मिशन के दिशानिर्देशों के निधारित मापदण्ड़ों के आधार पर राज्य शहरी आजीविका मिशन निदेशालय प्रस्ताव का परीक्षण कर, अनुमोदन एवं स्वीकृति/अस्वीकृति किये जाने पर तद्नुसार निर्णय करेगा।

सी0एल0सी0 का प्रचार एवं जागरूकता अभियान का संचालन :–

राज्य शहरी आजीविका मिशन से सी0एल0सी0 के स्थापना की स्वीकृति प्राप्त होते ही निकायों/जनपदों को सी0एल0सी0 कार्य क्षेत्र में शहरी गरीबों एवं शहरवासियों के मध्य सी0एल0सी0 द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के बारे में सघन रूप से प्रचार प्रसार किया जायेगा ताकि लक्षित समूह को जागरूक कर केन्द्र का सुचारू रूप से संचालन हो सके।

सी0एल0सी0 के प्रचार प्रसार में स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप प्रचार प्रसार के तरीकों एवं साधनों का उपयोग कर किया जायेगा। प्रचार प्रसार में पम्पलेट्स, स्थानीय रेडियो/टी0वी0/ समाचार पत्रों में विज्ञापन, बैनर, पोस्टर, घोषणा, विभिन्न प्रकार की बैठकों, दीवाल लेखन इत्यादि के

माध्यम से सभी शहरवासियों को केन्द्र एवं केन्द्र द्वारा प्रस्तावित औपचारिक गुणात्मक आधार पर उचित मूल्य में दी जाने वाली सेवाओं/सुविधाओं के प्रति जागरूक किया जायेगा।

सी0एल0सी0 स्थापना हेतु भवन एवं मूलभूत सुविधाएं :–

सी0एल0सी0 की स्थापना 1000 वर्ग फुट क्षेत्रफल के परिसर में कम से कम 2 कमरें, बरामदा, बाथरूम/शौचालय की उपलब्धता होनी चाहिए। आवश्यक मूलभूत सुविधाओं में कुर्सी, मेज, अलमारी, रैक, कम्प्यूटर, टेलीफोन पेयजल एवं बिजली आदि की व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

सी0एल0सी0 का संचालन एवं नियंत्रण :–

सी0एल0सी0 का संचालन शहर/जिला स्तर पर शहरी आजीविका मिशन/डूडा के नियंत्रण में शहरी निकायों के सहयोग एवं समन्वय से किया जायेगा। सी0एल0सी0 का संचालन व्यवसायिक माडल पर उचित मूल्य पर सेवाओं की उपलब्धता के आधार पर किया जाना है जिसे एक निश्चित अवधि में आत्मनिर्भर होना अपरिहार्य होगा। सी0एल0सी0 का संचालन सी0यू0एल0एम0 द्वारा सीधे शुरूआत/आरम्भ में केन्द्र प्रबन्धक/कर्मियों की भर्ती कर किया जा सकता है। सी0यू0एल0एम0 द्वारा सीधे संचालन न कर पाने की स्थित में समुदाय आधारित सगंठन (CBO's)/एजेन्सी के माध्यम से भी संचालित कराया जा सकता है CBO's/एजेन्सी के माध्यम से संचालन की स्थिति में कर्मियों की भर्ती उक्त संस्था द्वारा आवश्यकता के अनुरूप की जायेगी।

सी0एल0सी0 स्थापना हेतु वित्तीय व्यवस्था :–

शहरी आजीविका मिशन के अर्न्तगत प्रत्येक सी0एल0सी0 स्थापना हेतु एक बार एक मुश्त रू0 10 लाख नान रिकरिंग अनुदान की धनराशि तीन किश्तों में निम्नानुसार उपलब्ध करायी जायेगी :–

क्रम संख्या	किश्तों की संख्या	धनराशि अवगत का विवरण
1.	प्रथम किश्त	30% अनुदान की धनराशि प्रस्ताव स्वीकृति के पश्चात्।
2.	द्वितीय किश्त	40% अनुदान की धनराशि प्रस्तावित कार्य योजना के अनुसार कर्मियों की भर्ती का व्यवस्थागत कार्य पूर्ण किये जाने पर।
3.	तृतीय किश्त	30% अनुदान की धनराशि कार्य योजना के अनुसार सी0एल0सी0 के विधिवत संचालन प्रारम्भ कर सेवाएं उपलब्ध कराने की सन्तोष जनक आख्या प्राप्त होन पर।

सी0एल0सी0 स्थापना हेतु उपलब्ध करायी गई केन्द्रशं की धनराशि से किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य नही कराया जाना प्रावधानित है।

शहरी आजीविका केन्द्र (सी0एल0सी0) द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं :–

1.शहरी गरीबों को दी जाने वाली सेवाएं :–

1.1.निशुल्क सेवाएं :–

1.शहरी गरीबों को सरकारी एवं गैरसरकारी योजनाओं की जानकारी देना।
2.बैंक एकाउन्ट खुलवाने हेतु गतिशील कर सहयोग देना।
3.एन0यू0एल0एम0 एवं अन्य योजनाओं के अर्न्तगत रोजगार परक प्रशिक्षण की जानकरी देते हुए प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर व सम्भावनाओं की जानकरी देते हुए पहुँच सुगमीकृत कराना।
4.आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड इत्यादि की जानकरी देते हुए बनवाने में सहयोग करना।
5.विभिन्न जानकारी हेतु टोल फ्री फोन/मोबाइल नम्बर/इन्टर नेट आदि की सुविधा उपलब्ध कराते हुए लोगो तक नम्बर पहुँचाना।

1.2.शुल्क आधारित सेवाएं :–

सी0एल0सी0 द्वारा शहरी गरीबों को नीचे लिखी सेवाएं न्यूनतम उचित शुल्क पर केन्द्र के सुचारू रूप से संचालन एवं आत्मनिर्भरता एवं शहरी गरीबों में केन्द्र के प्रति अपनत्व एवं स्वामित्व की भावना का विकास किये जाने के दृष्टिगत किया जाना प्रस्तावित है :–

1.निपुण एवं प्रशिक्षित कामगारों को सी0एल0सी0 में पंजीकृत करना एवं पहचान पत्र उपलब्ध कराना।

2.पंजीकृत शहरी गरीबों को उनके द्वारा किये जा रहे उत्पादों हेतु बाजार उपलब्ध कराने में सहयोग करना।

3.बेहतर उत्पादकता हेतु बाजार की मांग के अनुसार समय–समय पर होने वाले उतार–चढ़ाव की जानकारी पंजीकृत लघु उद्यमियों तक पहुँचाना।

4.लघु उद्यम हेतु पंजीकरण/लाइसेसिंग, परियोजना प्रस्ताव एवं आवश्यकतानुसार बैंक ऋणु में मदद करना, उद्यम की स्थापना में विभिन्न प्रक्रियात्मक, व्यवस्थागत, विधिक आवश्यक उपकरण, कच्चे माल आदि की व्यवस्था व विपणन में सहयोग करना।

5.विभिन्न ट्रेडर्स, शापिंग माल्स से समन्वय कर उनकी मांग के अनुरूप उत्पादकता हेतु शहरी गरीबों को सहयोग देना।

6.पंजीकृत शहरी गरीबों को आम शहरी की मांग के अनुरूप विभिन्न दैनिक सेवाओं के गुणवत्तापरक आधार पर दिये जाने के सम्बन्ध में गतिशील करना।

7.निपुण एवं प्रशिक्षित पंजीकृत शहरी गरीबों को उनकी योग्यता एवं कौशल के आधार पर विभिन्न सरकारी, गैर सरकारी संस्थानों, व्यवसायिक माल्स, नर्सिंग होम/चिकित्सालय, दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में सेवायोजन में सहयोग प्रदान करना।

8.आम शहरवासियों की मांग पर दैनिक मूलभूत सेवाओं हेतु पंजीकृत निपुण एवं प्रशिक्षित कामगारों को उचित भुगतान पर सेवा के अवसर उपलब्ध कराना।

9.सी0एल0सी0 की पहचान गुणवत्तापरक सेवाओं एवं विश्वसनीयता हेतु ड्रेस का निर्धारण कर आपसी सहयोग से ड्रेस की उपलब्धता कराना।

2.शहरी नागरिको को दी जाने वाली सेवाएं :–

1.सी0एल0सी0 द्वारा निपुण/प्रशिक्षित कामगारों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु पंजीकृत कर उनके माध्यम से उचित मूल्य आधारित निम्नलिखित दैनिक सेवाएं शहरवासियों हेतु ट्रोल फ्री0 नम्बर, ईमेल, एस.एम.एस., व्यक्तिगत सर्म्पक द्वारा मांग के अनुसार उपलब्ध करायी जायेगी :–

2.बिजली मिस्त्री/इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, बढ़ई, मिस्त्री, लोहार, पुताई, पेन्टिग, फाल्स सीलिंग कारीगर मजदूर एवं माली, कपड़ा धोने वाला, प्रेस करने वाला, मोबाइल, प्रेशर कुकर बनाने वाला कारीगर, कुर्सी बुनने वाला कारीगर, गृह सज्जा, इन्टीरियर डेकोरेटर, ड्राइवर, मोटर मैकेनिक, वायर मैन, कम्प्यूटर/ लैपटाप सुधार एवं मेन्टीनेस करने वाला कारीगर/व्यक्ति, कम्प्यूटर आपरेटर, सुरक्षा गार्ड, नर्सिंग सहायक/सहायिका, फिजियोथेरेपी, कुक खानसामा, घरेलू कामकाजी महिला एवं पुरूष, सफाई कर्मी, रेलवे, बस एवं हवाई टिकटों की बुंकिग एवं टिकटो का समय से पहुँचाना, कोरियर सेवा, टी0वी0, फ्रिज कारीगर, टैक्सी सेवा इत्यादि।

3.सी0एल0सी0 द्वारा दी जाने वाली अन्य सेवाएं :–

1.सी0एल0सी0 द्वारा अपने उदेद्श्यों के पूर्ति हेतु आम शहरी नागरिको को उनकी आवश्यकतानुसार खुदरा सेवाएं उपलब्ध कराने के साथ ही बड़े स्तर की संगठित क्षेत्रो यथा, विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों, नगर निगम/नगर पालिका परिषद, हाउसिंग सोसाइटी/आपार्टमेन्टस, बिजनेस हाउसेस को दैनिक मूलभूत सेवाएं अपनी क्षमतानुसार वार्षिक मेन्टीनेस के आधार पर सीधे कार्यादेश अथवा विडिग टेण्डर के द्वारा प्राप्त कर अपनी सेवाएं प्रदान करने का प्रयास करेगा।

2.सी0एल0सी0 भवन/परिसर में उपयुक्त स्थान की उपलब्धता होने पर विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण/कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में उपयोग किया जाना।

3.कामकाजी महिलाओं के बच्चो के देखभाल हेतु शिशुपालन केन्द्र की सुविधा का आवश्यकतानुसार व्यवस्था कर प्रदान किया जाना।

4.सी0एल0सी0 द्वारा अपने कार्य क्षेत्र में शहरवासियों के आधार कार्ड बनवाने आदि कार्यो के लेने की सम्भावनाओं की तलाश कर समन्वय कर कार्यो को लेना तथा पंजीकृत लोगो के माध्यम/सहयोग से कराना।

5.विभिन्न सरकारी/गैर सरकारी विभागो, बैंको, बीमा कम्पनियों आदि की पहुँच शहरी गरीबों तक सुलभ कराना।

शहरी आजीविका केन्द्र (सी0एल0सी0) का प्रबन्धन एवं कार्य प्रणाली :-

1.सी0एल0सी0 का प्रबन्धन आत्मनिर्भरता के सिद्धान्त पर आधारित है जिसके सी0एल0सी0 के सुचारू रूप से संचालन हेतु व्यवसायिक कार्य योजना तैयार कर बाजार के मांग के अनुरूप दी जाने वाली सेवाओं को सूचीबद्ध करते हुए उचित मूल्यों का निर्धारण कर पारदर्शी तरीके से प्रबन्धन किया जायेगा। सी0एल0सी0 के दैनिक कार्यो के व्यवस्थित तरीके से संचालन हेतु आवश्यकता के अनुसार कर्मियो को रखा जायेगा।

2.प्रतिदिन के आधार पर सी0एल0सी0 का संचालन एवं देखरेख/व्यवस्था की जायेगी।

3.संविदा/टेन्डरों से सम्बन्धित कार्यो हेतु सी0एल0सी0 बाजार के मानकों एवं प्रचलित दरों के अनुसार व्यक्तियों/सदस्यों की सेवाएं ले सकेगा।

4.सी0एल0सी0 का एक पृथक बैक खाता खोला जायेगा जिसका संचालन संयुक्त हस्ताक्षर के द्वारा संचालित किया जायेगा। शहरी आजीविका मिशन का प्रभारी एवं सी0एल0सी0 प्रबन्धक/कर्मी के संयुक्त बैंक खाते के संचालन हेतु जिलाधिकारी/परियोजना निदेशक द्वारा नामित किया जायेगा तथा प्रबन्धन संस्था एवं सी0एल0सी0 कर्मी के दैनिक लेन देन बैंक के माध्यम से किया जायेगा। दैनिक लेन देन की नियमित देख रेख शहरी आजीविका मिशन के प्रभारी द्वारा की जायेगी।

5.सी0एल0सी0 स्तर पर सभी आवश्यक अभिलेख लेखा, सदस्यता पंजीकरण रजिस्ट्रार एवं विवरण, साझा पूँजी, बिजनेस लेनदेन इत्यादि का सुचारू रूप से अभिलेखीकरण किया जायेगा। केन्द्र को साप्ताहिक आख्या (जिसमें वित्तीय एवं दी गई सेवाओं का विवरण सम्मिलित होगा) शहरी आजीविका मिशन को एवं मासिक आख्या राज्य शहरी आजीविका मिशन को प्रेषित की जायेगी।

अनुश्रवण एवं देखरेख :-

- सी0एल0सी0 के कार्यो/सेवाओं की देखरेख एवं अनुश्रवण दैनिक आधार पर नगरीय निकायों के सहयोग से शहरी आजीविका मिशन के अर्न्तगत गठित शहर मिशन प्रबन्धन इकाई (सी0एम0एम0यू0) द्वारा किया जायेगा। उक्त के साथ ही समय-समय पर एस0एम0एम0यू0 द्वारा भी अनुश्रवण किया जायेगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त दिशा निर्देशों के आलोक में एन0यू0एल0एम0 के अर्न्तगत सी0एल0सी0 के स्थापना हेतु उपयुक्त स्थल का चयन कराते हुए निर्धारित प्रारूप पर कार्य योजना सहित विस्तृत प्रस्ताव यथा शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि अग्रेतर कार्यवाही की जा सकें।

संलग्नक- सी0एसल0सी0 स्थापना हेतु प्रस्ताव का प्रारूप

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
मिशन निदेशक/निदेशक सूडा

निम्न को सूचनार्थ एवं अवलोकनार्थ :-

प्रतिलिपि :-1.समस्त परियोजना निदेशक/परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकार।

2.समस्त अधिशासी अधिकारी-नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत सम्बन्धित एन.यू.एल.एम. शहर।

3. [illegible]

4. [illegible]

25/4/2014

(श्रीप्रकाश सिंह)
मिशन निदेशक/निदेशक सूडा

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन0यू0एल0एम0) के अंतर्गत

शहरी आजीविका केन्द्र (सी0एल0सी0) स्थापना हेतु प्रस्ताव का प्रारूप

सी0एल0सी0 की स्थापना हेतु निर्धारित प्रारूप पर सी0यू0एल0एम0 द्वारा प्रस्ताव मिशन निदेशक, राज्य शहरी आजीविका मिशन (एस0यू0एल0एम0) को प्रस्तुत किया जायेगा जो निम्नवत् है :–

1. जनपद का नाम :
2. शहर (निकाय) का नाम :
3. शहर (निकाय) में वार्डो की संख्या :
4. शहर (निकाय) में स्लमों की कुल संख्या :

   (क) नोटिफाइड : (ख) नान नोटिफाइड :

5. वार्डो का नाम एवं जनसंख्या जो सी0एल0सी0 से आच्छादित होंगें :

क्रम संख्या	वार्ड का नाम	नोटीफाइड	नान नोटीफाइड	जनसंख्या	अन्य विवरण

6. सी0एल0सी0 से आच्छादित वार्डो की कुल जनसंख्या :
7. आच्छादित जनसंख्या में कुल शहरी गरीबों की जनसंख्या :
8. सम्भावित सी0एल0सी0 सेवाओं को लेने वाले लोगो संख्या जो सी0एल0सी0 से आच्छादित होंगें ::

   (क) सेवा प्रदाता : (ख) सेवा उपयोगकर्त्ता :

9. क्षेत्र में सी0एल0सी0 द्वारा प्रदान की जाने वाली मुख्य सेवाएं :
10. सी0एल0सी0 के कार्य क्षेत्र में बढोत्तरी के सम्भावित सेवाओं/कार्यो का विवरण :
11. सी0एल0सी0 हेतु उपलब्ध कराये जा रहें भवन/परिसर का विवरण :

    (क) क्षेत्र (वर्ग फीट में) :

    (ख) भौगौलिक क्षेत्र का विवरण एवं पूर्ण पता :

    (ग) नगरीय निकाय/डूडा कार्यालय के पास स्थिति का विवरण (हॉ/नही के साथ दूरी की स्थिति का विवरण दे) :

    1. डूडा से दूरी :
    2. नगर पालिका से दूरी :

12. सी0एल0सी0 के कार्य योजना को सहयोग/मदद हेतु संदर्भ संस्था/समुदाय आधारित संगठन का विवरण :
13. प्रस्ताव किसके द्वारा तैयार किया गया है :
14. प्रस्ताव को मूल्यांकित किसके द्वारा किया गया :
15. प्रस्ताव को अग्रसारित किये जाने वाले अधिकारी का नाम और पद :
16. सी0एल0सी0 का बिजनेस प्लान एवं आत्मनिर्भता का विवरण समय सीमा के साथ विस्तृत रूप से तैयार कर संलग्न करें।

हस्ताक्षर, पद एवं दिनांक :–

प्रभारी/अधिकारी
एन0यू0एल0एम0

परियोजना निदेशक

जिलाधिकारी/अध्यक्ष

फोन–2286710
2286709

राज्य नगरीय विकास अभिकरण
नव चेतना केन्द्र,10 अशोक मार्ग,लखनऊ–226001
website-www.sudaup.org

पत्रांक–567 /241/ NULM / तीन/2011 (SFP) दिनांक– 05/6/14

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी / अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
उत्तर प्रदेश

समस्त नगर आयुक्त,
नगर निगम,
उ0प्र0।

अधिशासी अधिकरी
नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत
लोनी, मोदीनगर (गाजियाबाद), अकबरपुर (अम्बेडकरनगर), अमरोहा, आजमगढ़, बदायूँ, बहराइच, बलिया, बांदा, बस्ती, बुलन्दशहर, खुर्जा, सम्भल, चदौंसी, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, मुगलसराय, बडौत (बागपत), देवरिया, एटा, इटावा, फैजाबाद, फर्रूखाबाद, फतेहपुर, गाजीपुर, गोण्डा, हापुड़, हरदोई, हाथरस, उरई, जौनपुर, कासगंज, लखीमपुरखीरी, ललितपुर, महाराजगंज, मैनपुरी, मथुरा, मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, रायबरेली, रामपुर, शाहजहांपुर, शामली, सीतापुर, सुल्तानपुर, उन्नाव, औरैया, बागपत, बलरामपुर, नवाबगंज (बाराबंकी), चित्रकूट धाम कर्वी, दादरी (गौतमबुद्धनगर), हमीरपुर, बिजनौर, कन्नौज, पडरौना (कुशीनगर), महोबा, मऊ, प्रतापगढ़, खलीलाबाद (संतकबीरनगर), सिद्धार्थनगर, रार्बटसगंज (सोनभद्र) / अमेठी, ज्ञानपुर (भदोही), चन्दौली, अकबरपुर (कानपुर देहात), मंझनपुर (कौशाम्बी), भिनगा (श्रावस्ती) ।

विषय– राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन0यू0एल0एम0) के घटक स्व–रोजगार कार्यक्रम (एस0ई0पी0) के अंतर्गत टास्क फोर्स गठित किये जाने के संबंध में।

महोदय / महोदया,

उपर्युक्त विषयक राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन0यू0एल0एम0) के घटक स्व–रोजगार कार्यक्रम (एस0ई0पी0) के अंतर्गत शहरी गरीबों को व्यक्तिगत और समूह में बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाना है ताकि स्थाई रोजगार का सृजन हो सके।

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक स्व–रोजगार कार्यक्रम (एस0ई0पी0) के दिशानिर्देश के प्रस्तर–9 के अनुसार स्वरोजागर के लिए ऋण (व्यक्तिगत एवं

समूह) हेतु लाभार्थियों के चयन शहर/नगर निकाय स्तर पर गठित टास्क फोर्स का गठन किया जाना है।

शहर/नगर निकाय स्तरपर गठित टास्क फोर्स के द्वारा व्यक्तिगत ओर समूह में उद्यम स्थापित करने के लिए ऋण हेतु दिये गये आवदेन पत्रों पर अपनी संस्तुति प्रदान करते हुए नगर निकाय/सी0एम0एम0यू0 के माध्यम से संबंधित बैंक को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जायेगा। टास्क फोर्स के गठन हेतु नगर निकायों के नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी उत्तरदायी होंगें। टास्क फोर्स की संख्या शहर/नगर निकाय के आकार एवं जनसंख्या के आधार पर एक से अधिक हो सकती है। प्रत्येक शहर/नगर निकाय में एक टास्क फोर्स अनिवार्य रूप से गठित किया जाना है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है:–

कमांक	पदनाम	सदस्याता
1	नगर आयुक्त/अधिशसी अधिकारी या नगर आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	अध्यक्ष
2	लीड जिला प्रबन्धक (एल0डी0एम0)	सदस्य
3	सिटी प्रोजेक्ट ऑफिसर (सी0पी0ओ0)	सदस्य संयोजक
4	महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र (डी0आई0सी0)	सदस्य
5	परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी, डूडा	सदस्य
6	वरिष्ठ बैंक प्रबन्धक (अधिकतम–2)	सदस्य
7	प्रतिनिधि–एरिया लेवल फडरेशन/सिटी लेवल फडरेशन (अधिकतम–2)	सदस्य

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–779/69–1–14–14(104)/2013, दिनांक 23.05.2014 के कम में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन0यू0एल0एम0) के कियान्वयन हेतु कार्यकारी समिति का गठन किया गया है, जिसके प्रस्तर–3 में व्यवस्था दी गयी है कि सिटी मिशन मैनेजमेन्ट यूनिट के अन्तर्गत नगर निगम वाले शहरों में उप नगर अधिकारी अथवा उनके समकक्ष अधिकारी को सिटी प्रोजेक्ट आफीसर (सीपीओ) नामित किया जायेगा तथा साथ ही नगर पालिका परिषद/ नगर पंचायत वाले शहरों में अधिशासी अधिकारी अथवा उनके समकक्ष अधिकारी को सिटी प्रोजेक्ट आफीसर (सीपीओ) नामित किये जाने की व्यवस्था है।

तदनुसार नामित अधिकारी ही टास्क फोर्स में सदस्य संयोजक होंगे।

नगर निकाय/सी0एम0एम0यू0 द्वारा व्यक्तिगत एवं समूह में उद्यम हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों को टास्क फोर्स के समक्ष प्रस्तुत किये जायेगें। टास्क फोर्स के द्वारा आवेदन पत्रों का अनुभव, कौशल, कार्य, व्यवहारिकता, कार्य का क्षेत्र/विस्तार के आधार जांच की जायेगी। तत्पश्चात टास्कफोर्स द्वारा सूचीबद्ध किये गये आवेदन पत्रों के प्रार्थियों का साक्षात्कार हेतु बुलाया जायेगा।

टास्क फोर्स उचित पाये गये आवेदन पत्रों पर अपनी संस्तुति देगी, अनुचित पाये गये आवेदन पत्रों को अस्वीकार करेगी और अपूर्ण पाये गये आवेदन पत्रों के लाभार्थियों से आवश्यक सूचनाओं सहित आवेदन पत्रों को दुबारा मांगते हुए उन्हे मूल्यांकित करेगी। तत्पश्चात टास्क फोर्स आवेदन पत्रों पर विधिवत संस्तुति के साथ

नगर निकाय/सी0एम0एम0यू0 के माध्यम से संबंधित बैंक को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित करेगी। सभी आवेदन पत्रों पर टास्क फोर्स द्वारा 15 दिन की समयावधि में संबंधित बैंकों को कार्यवाही हेतु प्रेषित करेगी। जिन आवेदन पत्रों पर टास्क फोर्स द्वारा संस्तुति प्रदान की गयी है ऐसे आवेदन पत्रों को विशिष्ट परिस्थिति में ही बैंक के द्वारा अस्वीकृत किये जाये सकेंग।

बैंक द्वारा स्वीकार किय गये आवेदन पत्रों की मासिक रिपोर्ट नगर निकाय/सी0एम0एम0यू0 को प्रेषित की जायेगी।

उपरोक्तानुसार अतिशीघ्र टास्क फोर्स का गठन किया जाये ताकि स्वरोजगार कार्यक्रम में व्यक्तिगत एवं समूह में उद्यम स्थापना हेतु ऋण वितरण प्रारम्भ हो सके।

भवदीय,

04/07/2014

(श्रीप्रकाश सिंह)
मिशन निदेशक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. सिटी प्रोजेक्ट ऑफिसर (सी0पी0ओ0), शहर मिशन, प्रबन्धन इकाई।
4. समस्त परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ कि तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित् करें।

(श्रीप्रकाश सिंह)
मिशन निदेशक